Airo International Research Journal
ISSN 2320-3714

October 2019
Volume 20

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास नीतियां

डॉ0 रीनू रानी मिश्रा

अस्सिटेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,

आरती अरोरा

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग

सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूद्रपुर, कुमाऊं विश्वविद्यालय,नैनीताल,उत्तराखंड

ई–मेल आई डी – artiarora19@gmail.com

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास नीतियां

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद से चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार की आवास नीतियां तथा आवास कार्यक्रम का विस्तार से अध्ययन किया है। मानव जीवन में तीन मूलभूत आवश्यकतायें है– रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के पीछे भागते–भागते एक आम आदमी की पूरी जिन्दगी खत्म हो जाती है और वह यह तीनों आवश्यकतायें ही पूरी नहीं कर पाता है। हमारे यहां विभिन्न पंचवर्षीय योजनओं में विभिन्न प्रकार के आवास कार्यक्रम जैसे इन्दिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, रियायती औद्योगिक आवास योजना, राष्ट्रीय आवास नीति जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये जिनके माध्यम से ग्रामीण तथा भूमिहीन किसान, मजदूरों, श्रमिक, अनुसूचित जाति, जनजाति, तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आवास प्रदान किये जा सकें। इससे उनके जीवन को सुरक्षा तथा खुशहाली का अहसास हो।

शब्द सूचक (Keywords) – आवास, आवास नीतियां, पंचवर्षीय योजनायें।

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास नीतियां

प्रस्तावना–

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकतायें है, रोटी, कपड़ा एवं मकान । चाहें वह दुनिया का कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति उसे रहने के लिये घर तो चाहिए, फिर चाहे वह घर छोटा हो या बड़ा। अपना घर होना प्रत्येक व्यक्ति का सपना ही नही बल्कि उसका हक भी है। किन्तु भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने जरूरतों के हिसाब से अपने लिये घर का निर्माण करने में समर्थ नहीं है। **(मजूमदार, 2011:18–19)**[1]

एक अच्छा घर पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा है, बहुत सारी भाषाओं में 'घर' शब्द का मतलब परिवार से होता है। समय के साथ– साथ मनुष्य अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से घर बनाता चला गया। और घर का स्वरूप निरन्तर बदलता रहा किन्तु मनुष्य की जिन्दगी में घर आज भी उतना ही महत्तवपूर्ण है जितना कई हजार वर्षो पहले था। सबका अपना घर मन्दिर होता है,स्वर्ग होता है। एक व्यक्ति को जो सुख– शांति अपने घर में मिल सकती है, वह उसे अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। किसी का घर छोटा होता है तो किसी का बड़ा, कोई झोपड़ी में रहता है तो कोई महलों में रहता है। पंरतु झोपड़ी में रहने वाले को यदि किसी व्यक्ति की हवेली या महल में रहने के लिये कहा जाए, तो उसे वहाँ वह सुख–शांति नहीं मिलेगी, जो उसे अपने घर में मिलती है। अतः अपना घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, वहीं स्वर्ग के समान सुखदायक होता है।

आज के समय में मनुष्य का घर केवल बाहरी संरचना का परिचायक ही नही है, बल्कि घर के आस–पास का क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाऐं, अनुकूल वातावरण, अच्छे पड़ोसी इन सबका होना भी बहुत आवश्यक है। सभी व्यक्तियों के पास रहने के लिये अपना घर होना भी एक विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। एक अच्छी तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था का पता उसकी जनता की खुशहाली से लगाया जा सकता है। तथा जनता की खुशहाली में आवास महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मानव संसाधनों को संरक्षित तथा सुरक्षित रखने के लिये उचित मानव आवास की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है –

- हमारे देश में चलायी जा रही पंचवर्षीय योजनओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवास नीतियों की जानकारी प्रदान करना।
- देश में आवास की उपलब्धता तथा आवश्यकता का गहन अध्ययन करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितियक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितियक आंकड़ों के लिये ग्राम स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सूचनाओं का संग्रहण किया गया। आवास से सम्बन्धित आंकड़ों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना तथा अन्य स्त्रोंतों द्वारा एकत्रित किया गया।

ग्रामीण तथा शहरी आवास का एक परिचय – ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के आवास में बहुत अधिक समानतायें तथा विभिन्नतायें दोनों पायी जाती है। शहरी जहां से शुरू होता है, ग्रामीण वहीं पर समाप्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच अक्सर एक – दूसरे पर निर्भरता देखने को मिलती है। जैसे शहरी क्षेत्र भोजन के आयात के लिये ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर होते है इसके विपरीत माल तथा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, परिवहन आदि के लिये ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों पर ही निर्भर होती है।

भारत में जनसांख्यिकीय रूझान तथा आवास की जरूरत – भारत में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग आवास में रह रहे है। यह विवरण इस तालिका में देखने को मिलता है। हमारे यहां वर्ष **2001** में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आवास **129052642** तथा शहरी क्षेत्रों में निर्मित आवास **50222963** की संख्या है। वहीं यह आंकड़ा **2011** में बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में **166203921** हो गया था, तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष **2011** में निर्मित आवास की संख्या बढ़कर **78484979** तक हो गयी। इसके साथ ही इन आवासों में निवास करने वाले परिवारों की संख्या में भी निरन्तर होती गयी। वर्ष **2001** में शहरी परिवारों की संख्या **55832570** थी जो **2011** में बढ़कर **78865937** तक पहुंच गयी। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या **2001** में **137747384** थी जो **2011** में बढ़कर **167874291** तक पहुंच गयी। इन आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है किन्तु फिर भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा

आज भी गांवों में निवास कर रहा है।**(स्त्रोत् : भारत सरकार, जनसांख्यिकीय आंकड़े 2011)** ।

तालिका 1 .1

देश में शहरी तथा ग्रामीण आवास तथा परिवारों की संख्या

वर्ष	आवास की संख्या		परिवारों की संख्या	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
वर्ष 2001	50222963	129052642	55832570	137747384

स्त्रोत् – भारत सरकार, जनसांख्यिकीय आंकड़े, 2011

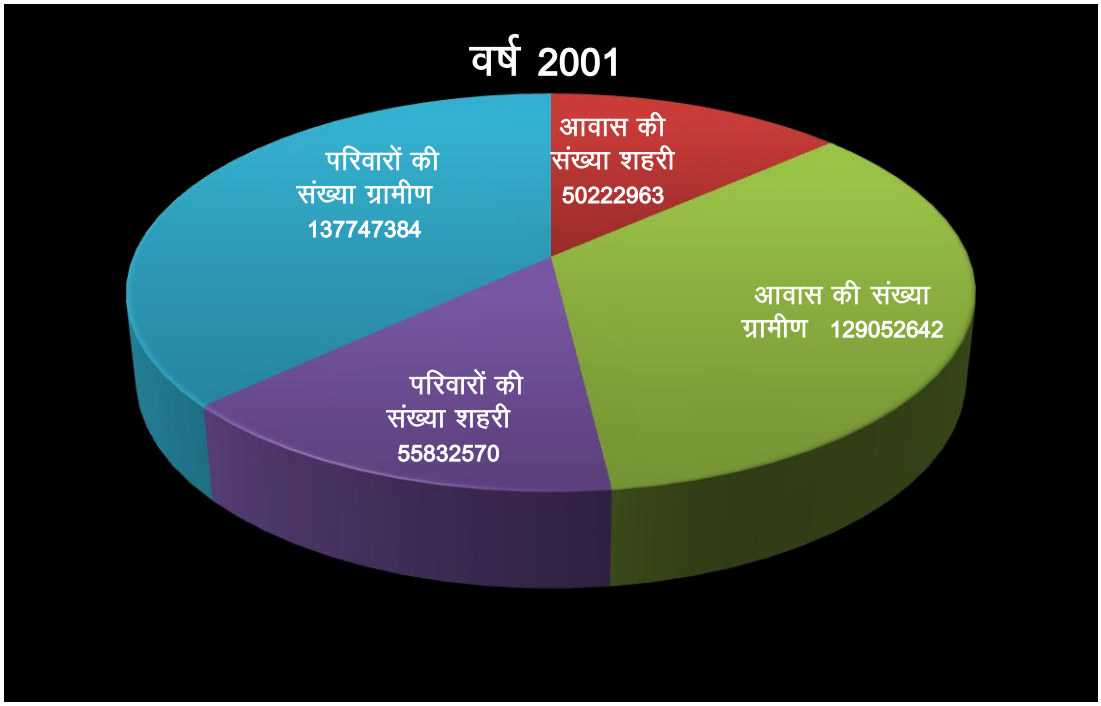

तालिका 1.2

देश में शहरी तथा ग्रामीण आवास तथा परिवारों की संख्या

वर्ष	आवास की संख्या		परिवारों की संख्या	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
वर्ष 2011	78484979	166203921	78865937	167874291

स्त्रोत् – भारत सरकार, जनसांख्यिकीय आंकड़े, 2011

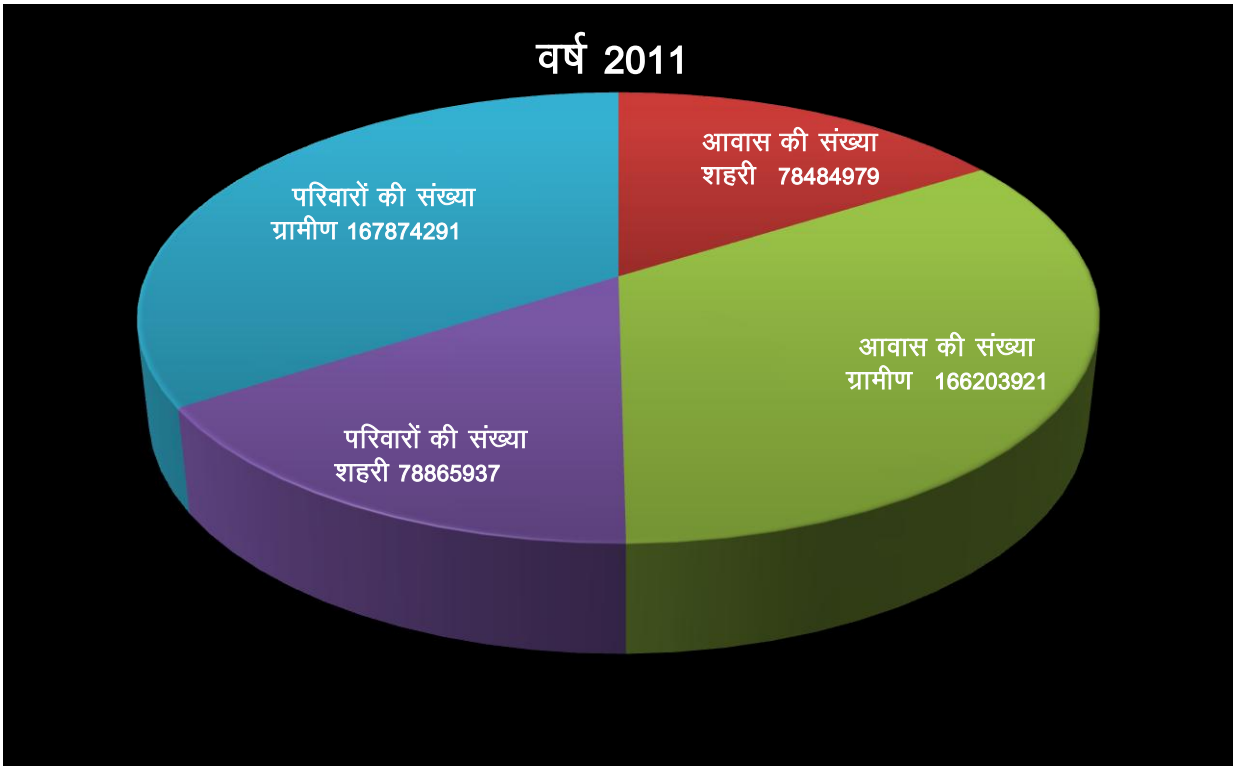

पंचवर्षीय योजनाओं में चलायी जा रही आवास नीतियां

➢ **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)** – इसके के अर्न्तगत सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में **58000** ग्रामीण शौचालय, **1600** मील तक नालें, **20000** नवीन कुंओं का निर्माण तथा **34000** कुओं को पुननिर्मित किया गया। राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र के आकड़ों के अनुसार **80000** ग्रामीण शौचालय, **2700** मील तक नालें, **30000** नवीन कुंओं का निर्माण तथा **51000** कुओं को पुननिर्मित किया गया। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक परियोजना में लगभग **29000** नये आवास का निर्माण किया गया तथा लगभग इतने ही पुराने आवासों की मरम्मत का कार्य किया गया।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1956–61:560)**[2]।

➢ **द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)** – इस योजना में ग्रामीण आवास को ग्रामीण पुननिर्माण की नींव के रूप में देखा गया। इस योजना में जल आपूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता,सड़के, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये कल्याण कार्यक्रम, गांव के कारीगरों के लिये अधिक रोजगार तथा ग्रामीणों के निवास के लिये उचित आवास की व्यवस्था आदि को शामिल किया गया।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1956–61:559)**[3] । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में **1600** गांवों के प्रारूप की योजना तैयार की गयी, तथा लगभग **15400** घरों के निर्माण के लिये **3.6 करोड़ रू0** के ऋण को मंजूरी दी गयी।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1961–66:694)**[4] ।

➢ **तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)** – तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास को सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण योजना का एक अभिन्न अंग माना गया। इस योजना में सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे– पानी की

आपूर्ति,सड़कों की व्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थय की व्यवस्था, शिक्षा का प्रावधान आदि को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1961–66 :696)**[5] । इस योजना में घर के निर्माण के लिये सरकार द्वारा **66. 66 प्रतिशत** तक ऋण का आश्वासन दिया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि गांवों में सुधार के लिये संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। योजना में सड़कों एवंज ल निकासी में सुधार, समुदाय के लिए भूमि का आवंटन,स्थानीय सामग्री का उपयोग, निर्माण की लागत की व्यवस्था तथा ग्रामीण जीवन की कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारें में भी बात की गई।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1961–66:695)**[6] ।

- **वार्षिक योजनाएं की अवधि (1966–1969)** – इन तीन वर्षो के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये **EWS(Economically weaker section)** ई.डब्ल्यू.एस. योजना शुरू की गयी,तथा इसे रियायती औद्योगिक आवास योजना के साथ एकीकृत किया गया।

- **चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)** – चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी तथा स्वच्छता की बुनियादों जरूरतों को पूरा करना तथा निजी इमारतों के निर्माण एवं नवीनीकरण को प्रोत्साहित करना रखा गया था। इस योजना की सफल क्रियान्वयन के लिये रणनीति बनायी गयी। इसमें अनुसूचित जातियों के लिये विशेष आवास योजनाएं बनायी गयी, अनुसूचित जातियों के लिये संपत्ति के अधिकारों का प्रावधान करने के लिये विशेष कानून बनाये गये तथा राज्य में निहित

खाली पड़ी भूमि को, लोगो के लिये उपयोग में लाने के प्रयास किये गये।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1969–74:403–404)**[7] ।

➢ **पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)** – इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा तैयार करना तथा निजी स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित करना रखा गया था, जिससे अधिक से अधिक लोग बड़े स्तर पर घर का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही राज्य में भूमिहीन श्रमिकों के लिये बड़े पैमाने पर घरों की व्यवस्था करना।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1983:06)**[8] ।

➢ **छठी पंचवर्षीय योजना(1980–1985)** – छठी पंचवर्षीय योजना में आवास के क्षेत्र में एक मुख्य कदम लिया गया। इसमें निजी क्षेत्रों ने सीधे भूमिका निभायी तथा ग्रामीण एवं गरीब लोगो के लिये आवास निर्माण के प्रत्यक्ष संचालन कार्य प्रारम्भ किया। इस योजना में ग्रामीण तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास की जगह एवं निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1980–85:279)**[9] ।

➢ **सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990)** – छठी पंचवर्षीय योजना में बनायी गयी आवास योजनाओं को अधिक सक्रिय एवं उनके यर्थाथवादी क्रियान्वयन के लिये इस योजना में 90 वर्ग मीटर की भूमि वाले परिवारों को आवास निर्माण के लिये प्रति परिवार 500 रू0 आर्थिक सहायता तथा आवास निर्माण लागत में 2000 रू0 देने का प्रावधान रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण आवास

के क्षेत्र में सार्वजनिक संस्थानों (HUDCO and GIC) द्वारा लगभग 240 करोड़ रू0 विनियोग किये गये। **(भारत सरकार,योजना आयोग,1985–90:294–295)**[10] । ग्रामीण, भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन–जाति तथा कारीगरों को आवास के आवंटन की योजना की शुरूआत 1971 में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की गयी, जिसे बाद में 1974 में पूरी तरह राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। यह योजना **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम** का एक हिस्सा थी। सातवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान एम.एन.पी. के अर्न्तगत इस योजना को अधिक महत्तव दिया गया, **576.9 करोड़ रू0** इस योजना के लिये रखे गये। **43.2 लाख** घरों की जगह, **29 लाख** घरों का लक्ष्य रखा गया जिसमें से **22.5 लाख** परिवारों को घर आवंटित किये गये तथा निर्माण सहायता प्रदान की गयी।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1992–97:364)**[11] ।

- **आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997)** – इस योजना में आवास को एक मूलभूत आवश्यकता माना गया तथा उसे मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में गैर केंद्रित रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना था, जो ग्रामीण, एवं शहरी गरीबो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, शारीरिक रूप से विकलांग, विधवा तथा एकल महिलाओं को सामाजिक समुहों के माध्यम से सहायता प्रदान करें।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1993–94:155)**[12] । आठवीं योजना अवधि के दौरान, प्रमुख गतिविधियों को **एजेंडा 21** के कार्यान्वयन की दिशा में शुरू किया गया, जो **रियो डी जनेरियो में 1992** में हुयी बैठक में अनुमोदित था। भारत सरकार ने 1994 में **राष्ट्रीय आवास नीति** को अपनाया। नवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया

गया कि, आवास की में भारी कमी तथा आवास संबधी बुनीयादी ढांचे की कमी है।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1992–97:282)**[13] ।

➢ **नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)** – इस योजना में **सभी के लिये आवास** की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, विकलांग, मुक्त बंधुआ मजदूर, झोपड़ी में रहने वाले लोग तथा महिलाओं के लिये घरों की प्राथमिकता की पहचान की गयी।**(भारत सरकार,योजना आयोग,1997–2002:283)**[14] । **1991** की जनगणना के अनुसार के आवास की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। **1991** की जनगणना के अनुसार हमारे यहां ग्रामीण आवास की **137.20 लाख** थी, जिसमें से **34.10 लाख** घरों पर छत नही थी तथा **103.10 लाख** '**कच्चे मकान**' थे।

➢ **दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)** – दसवीं पंचवर्षीय योजना में **इन्दिरा आवास योजना** के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लोगो को निःशुल्क आवास प्रदान किये गये। तथा अन्य बी.पी.एल. परिवारों के लिये क्रेडिट से जुड़े आवास कार्यक्रम में एक क्रमिक बदलाव किया गया। दसवें योजना आयोग ने देखा कि समय के साथ–साथ भी ऋण पर आधारित मुफ्त आवास का प्रावधान योजनाएं बंद नही हुयी है, तथा इसमें ग्रामीण आवास के लिये प्रारम्भ की क्रेडिट–सह–सब्सिडी योजना की विफलता भी शामिल है।**(भारत सरकार,योजना आयोग,2002–2007:299,307)**[15] ।

➢ **ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) –** ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना यह बताती है कि, ''आवास निर्माण में कम लागत, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी तकनीक, सैनिटरी शौचालय तथा धुएँ रहित चूल्हें के प्रयोग को राज्य सरकार द्वारा बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया। अब लाभार्थी अपनी पसन्द, इच्छा तथा जरूरत के हिसाब से अपने लिये आवास का निर्माण करवा सकते है''।**(भारत सरकार,योजना आयोग,2008:94)**[16] ।

➢ **बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) –** बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी नवीनीकरण को अगले स्तर पर ले जाने के लिये **जे.एन.एन.यू.आर.एम. (जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन)** कार्यक्रम को संशोधित करके शहरी क्षेत्रों के अनुरूप करने के लिये इसकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में **जे.एन.एन.यू.आर.एम.** तथा **रे.ए.वाई.**(राजीव आवास योजना) के कार्यक्रमों के एकीकरण का सुझाव दिया गया। इस योजना में केवल झोपड़ियों या गांवों में ध्यान केन्द्रित न करके बल्कि 'पूरे शहर' के सुधार तथा नवीनीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह शहरों के जमीनी तथा बुनियादी ढांचों पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय् **'सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर'** को विकसित करने पर जोर देती है। इस योजना का उददेश्य समावेशी विकास को प्राप्त करना है। इस योजना में सभी लोगों के लिये एक समान तथा एक जैसे घरों की बजाय सभी व्यक्तियों के लिये उनकी आवश्यकता के अनुरूप घरों के निर्माण पर जोर दिया गया।

निष्कर्ष तथा सिफारिशें –

सभी पंचवर्षीय योजनाओं तथा एक वर्षीय योजनाओं में समय–समय पर सभी व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाये गये है, जिनमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त भी किया गया तथा आजादी 15 अगस्त 1947 से लेकर वर्तमान समय अक्टूबर 2019 अब तक हमारा समाज हमारा भारत पूरी तरह से बदल गया है। परन्तु हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी सरकार द्वारा जितनी भी आवास योजनायें क्रियान्वित् की जाती है वह जनसंख्या के हिसाब से कम ही पड़ जाती है तथा उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है उसके लिये सरकार को पहला कदम इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा उसके साथ ही साथ वर्तमान में चल रहीं आवास योजनाओं की जानकारी तथा उनका लाभ सम्पूर्ण समाज के सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाना तथा बढ़ती जनसंख्या के अनुसार नयी आवास योजनायें प्रारम्भ करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1 **मजूमदार भास्कर**, हाउसिंग ऑन द हिल्स इन इण्डिया, **कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2011,पृष्ठ सं0 18–19।**

2 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1956–1961,पृष्ठ सं0 560।**

3 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1956–1961,पृष्ठ सं0 559।**

4 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1961–1966,पृष्ठ सं0 694।**

5 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1961–1966,पृष्ठ सं0 696।**

6 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1961–1966,पृष्ठ सं0 695।**

7 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1969–1974,पृष्ठ सं0 403–404।**

8 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1983,पृष्ठ सं0 06।**

9 **भारत सरकार, योजना आयोग,** पंचवर्षीय योजना, **1980–1985,पृष्ठ सं0 279।**

10 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 1985–1990,पृष्ठ सं0 294–295।

11 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 1992–1997,पृष्ठ सं0 364।

12 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 1993–1994,पृष्ठ सं0 155।

13 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 1992–1997,पृष्ठ सं0 282।

14 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 1997–2002,पृष्ठ सं0 283।

15 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 2002–2007,पृष्ठ सं0 299,307।

16 भारत सरकार, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, 2008,पृष्ठ सं0 94।

*****